राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 3(44)आयो–1/सां./2013 जयपुर, दिनांक– 3 1 OCT 2014

आज्ञा

श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, बस्सी जिला, जयपुर ने दिनांक 31.07.2014 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिनांक 01.11.2014 मध्यान्ह पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने हेतु निवेदन किये जाने पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 29.09.2014 द्वारा उन्हें राज सिविल सेवा (पेंशन नियम), 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2014 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 27.10.2014 द्वारा पारिवारिक समस्या दूर होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त किये जाने के अनुरोध को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 01.11.2014 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.09.2014 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, बस्सी जिला, जयपुर अपने पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राज., जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज., जयपुर।
5. कार्मिक (क–1/गो.प्र) विभाग
6. कार्मिक (क–3/शिकायत/जांच) विभाग
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
8. उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कलक्ट्रेट, जयपुर।
9. कम्प्यूटर सेल, आयोजना को विभाग की वेबसाइट पर डालने बाबत्।
10. श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, बस्सी जिला, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव

Files/Group1 new/doc2